

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), नियोजन भवन, बिहार, पटना।

आदेश

राज्य के सभी औ० प्र० संस्थानों (महिला औ० प्र० संस्थान सहित) में आवश्यकता के अनुरूप अनुदेशक के पद पर अशंकालीन/अतिथि अनुदेशकों का चयन कर प्रशिक्षण कार्य लिया जा रहा है। विभागीय समीक्षात्मक बैठक एवं कतिपय सर्वसाधारण लोगों से अशंकालीन/अतिथि अनुदेशकों के चयन में बरती गयी अनियमितता की बराबर प्राप्त हो रही सूचनाओं को संज्ञान में लेते हुए कार्यरत अशंकालीन/अतिथि अनुदेशकों की बहाली को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

2. यह आदेश पत्र निर्गत की तिथि से लागू होगा।
3. अशंकालीन/अतिथि अनुदेशकों के बहाली को रद्द करने से होनेवाली रिक्ति एवं वर्तमान रिक्ति के सम्मिलित करते हुए एन०आई०सी० द्वारा विकसित Portal के माध्यम से Online प्रक्रिया अपनाते हुए अशंकालीन/अतिथि अनुदेशकों का चयन किया जाएगा।
4. प्रस्ताव में माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
निदेशक,
नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना


ज्ञापांक- टी-1/स्था० (6)अनु०-30/2016(पार्ट)-...../प ट ना, दिनांक- - -2018

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग व आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-
निदेशक,
नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- टी-1/स्था० (6)अनु०-30/2016(पार्ट)-.....949...../प ट ना, दिनांक- 11-05-2018

प्रतिलिपि:- सभी क्षेत्रीय उप निदेशक प्रशिक्षण कार्यालय/क्षेत्रीय निरीक्षी कार्यालय, पटना/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/सहायक निदेशक (परीक्षा), पटना/सभी क्षेत्रीय सहायक निदेशक प्रशिक्षण (शिक्षु कार्यालय/ सभी प्राचार्य एवं प्रभारी प्राचार्य, औ० प्र० संस्थानों (महिला औ० प्र० संस्थान सहित)/आई० टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक,
नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना
11/5/18